फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : कोमल
किस्म मुकदमा –88,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री श्यामलाल
पत्रावली संख्या : 10/23
जीसीएमएस : 2023/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.07.2024 पत्रावली अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विड्रो का पेश करने पर तलब की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी मय विड्रो का पेश कर अपने अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादीगण को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विड्रो को पढकर अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता वादीगण द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विड्रो का स्वीकार किया जाकर वादीगण के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता हैं। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 3 से 6 का काउन्टर क्लेम पेश है। अतः उक्त पत्रावली काउन्टर प्रतिवाद में जारी रहेगी। पत्रावली वास्ते अग्रीम कार्यवाही दिनांक 29.08.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली, जिला-उदयपुर (मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (SDO) मावली सहायक कलक्टर (SDO) मावली	कोमल मीणा निखिल मीणा पायल मीणा चंद्रशेखर मीणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.12 10:58:27 IST
Reason: SelfAttested

29/08/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 6 मय प्रतिवादी संख्या 3 से 6 अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी मय प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को आवाजे दिलवाई गई। समय सॉय 5:00 बज चुके हैं। अधिवक्ता मय प्रतिवादी सं. 3 से 6 अब तक अनुपस्थित हैं। वादीगण का वाद पूर्व में डिक्री किया जा चुका हैं। अत: अधिवक्ता मय प्रतिवादी सं. 3 से 6 अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 3 से 6 का प्रतिवाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली जेला-उदयपुर

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.02 13:58:27 IST
Reason: SelfAttested